



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)

Sugandha Bhavan

N.H. By-pass

P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन. एच. बाइपास

पी. बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या :13/2021

22 अक्टूबर, 2021

विषय : चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित पंजीकरण विनियम -बाबत

1. भारतीय दूतावास, बीजिंग ने सूचित किया है कि सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन, (जीएसीसी), चीनी जनवादी गणराज्य ने, "आयातित खाद्य के विदेशी निर्माताओं के पंजीकरण और प्रशासन पर विनियम" के कार्यान्वयन के बाद, खाद्य उत्पादों की 14 श्रेणियों (केसिंग, मधुमक्खी उत्पाद, अंडे और अंडे के उत्पाद, खाद्य वसा और तेल, भरवां पास्ता, खाद्य अनाज, अनाज मिलिंग औद्योगिक उत्पाद और माल्ट, ताजी और निर्जलित सब्जियां, और सूखे सेम, मसाला, नट्स और बीज, सूखे फल, बिना सेंका हुआ कॉफी बीन्स और कोको बीन्स, विशेष आहार उद्देश्य के खाद्य, और कार्यात्मक खाद्य) के विदेशी उत्पादन उद्यमों के लिए पंजीकरण निर्धारित किया है। मसाले, जैसा कि तालिका 1 (नीचे) में उल्लेख किया गया है, भारत से आयातित खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल हैं जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता है।

तालिका -1 मासाले व मसाला उत्पाद जिनकेलिए पंजीकारण अपेक्षित है	
1	स्टार एनीज़
2	थाइम पत्ता (पाउडर)
3	इलायची
4	कालीमिर्च
5	हल्दी (Curcuma longa rhizome)
6	करी पाउडर

7	जीरा (Cuminum seed)
8	मिर्च पाउडर
9	सुखा कालीमिर्च (मिर्च)
10	सेलरी बीज
11	अदरक
12	सोआ पाउडर
13	बड़ी सौंफ
14	कालाजीरा बीज
15	धनिया बीज

2. तदनुसार, स्पाइसेस बोर्ड, भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम प्राधिकारी, को उन फर्मों के पंजीकरण की सिफारिश करने के लिए कहा गया है, जिन्होंने 1 जनवरी, 2017 से अब तक तालिका-1 में उल्लिखित उत्पादों को चीनी जनवादी गणराज्य को निर्यात किया है। बोर्ड की सिफारिश 31 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले जीएसीसी तक पहुंच जाएगी। इसलिए, उपर्युक्त उत्पादों के निर्यातक, जो जीएसीसी के साथ पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से दिए गए प्रारूप में **29 अक्टूबर, 2021** की तारीख तक अपेक्षित विवरण प्रदान करना होगा।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjK7tnXy_8K5yhCYcpr7v0lin64Ua9vjvYU9gPA3OJaWsx4g/viewform?usp=sf_link

3. जीएसीसी ने सूचित किया है कि, तालिका 1 में उल्लिखित उत्पादों के निर्यातक जिन्होंने 31 अक्टूबर 2021 के भीतर पंजीकरण नहीं कराया है, वे अनुच्छेद 8 के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे और खाद्य पदार्थों के निर्यातक जो ऊपर पैरा-1 में उल्लिखित 14 श्रेणियों में शामिल नहीं हैं वे, **1 नवंबर 2021** के बाद, आयातित खाद्य के विदेशी निर्माताओं के पंजीकरण और प्रबंधन प्रणाली, चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिंगल विंडो (www.singlewindow.cn) के माध्यम से, जीएसीसी के पंजीकरण नियमों के अनुच्छेद 9 के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

4. मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर दी गई आवश्यकताओं और समय-सीमा का पालन करें, ताकि चीनी जनवादी गणराज्य के लिए निर्यात का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

निदेशक(विपणन)

सेवा में,

मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फ़ाइल संख्या: विपणन-क्यूआर/0001/2020-विपणन- 18053 द्वारा जारी)